


10.12.20

अभिलेख उपस्थापित। वाद में देनदार द्वारा शशि (वसूली) जमा करने की कोई सूचना नहीं है।


अतः शशि वसूली हेतु देनदार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करें। इनका कार्यान्वयन संबंधित ध्यान प्रभारी से करें।

  
नीलम पत्र पदाधिकारी

02.01.21

अभिलेख उपस्थापित। शाखा प्रबन्धक, कारनसद राज्य ग्रामीण बैंक, जयपुरी के पत्रांक सरकारी/5/2020-21 दिनांक 24.12.2020 से प्रतिवेदित किया है कि देनदार द्वारा सम्पूर्ण बकाया शशि की वसूली कर ली गई है और उनके ऊपर किसी प्रकार का बकाया नहीं है। नृण लेखा खाता भी बन्द कर दिया गया है। कोर्ट की दारिदर किया गया।

अतः अभिलेख की कार्यवाई बन्द किया जाता है।

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
सह नीलाम पत्र पदाधिकारी  
(गोडडा)

एक लाख पचास हजार का बकाया लेने के लिए